The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

21 June 2021

रांची

इक्फ़ाई विश्वविद्यालय में "ई-न्याय वितरण: अवसर और चुनौतियां" पर पैनल चर्चा

चर्चा मंच श्रृंखला के एक भाग के रूप में इक्फ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा "भारत में ई-न्याय वितरण: अवसर और चुनौतियां" पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। प्रमुख वक्ताओं में श्री बीरेश कुमार, रजिस्ट्रार, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, भारत सरकार, श्री प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, झारखंड, श्री चंदन कुमार सिंह, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक और श्री प्रदीप कुमार भट्टाचार्य, अधिवक्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के थे।

पैनल के सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जून 2020 तक, लगभग 3.27 करोड़ मामले भारतीय अदालतों के समक्ष प्रस्तुत है, जिनमें से लगभग 85,000 30 से अधिक वर्षों के लिए लंबित हैं। न्याय में देरी न्याय से वंचित है। प्रौद्योगिकी की तैनाती मामलों के निपटान में तेजी लाकर और कम लागत पर आम आदमी के लिए न्याय सुलभ बनाकर न्याय वितरण के परिवर्तन में मदद कर सकती है। यह प्रशंसनीय है कि कोविड महामारी के मद्देनजर, भारतीय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने शीघ्रता से ई-फाइलिंग और ई-सुनवाई का सहारा लिया, जिससे तत्काल मामलों में न्याय वितरण की निरंतरता सुनिश्चित हुई। प्रो राव ने कहा की हालांकि, देश भर में ई-कोर्ट प्रणाली को लागू करने के लिए कई चुनौतियां हैं।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री बिरेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट पहल की पहल पर प्रकाश डाला, जो 2005 में शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि ब्लॉक चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नवीनतम तकनीकों को पायलट आधार पर तैनात किया जा रहा है और विभिन्न कानूनी अनुप्रयोगों के लिए कई मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है।

इस तरह के प्रासंगिक विषय को चुनने के लिए आईसीएफएआई विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए, श्री प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कैसे झारखंड में न्यायपालिका ने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी को अपनाया है, बुजुर्ग अधिवक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों और युवा अधिवक्ताओं ने कैसे उनकी मदद की है। हालाँकि उन्होंने जिला और तालुक स्तरों पर प्रणाली के कार्यान्वयन की आवश्यकता व्यक्त की, जहाँ वादी और अधिवक्ता प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं हैं। श्री चंदन कुमार सिंह ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा चिंताओं और पूरे भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के मानकीकरण की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला। श्री प्रदीप कुमार भट्टाचार्य ने न्याय के न्यायशास्त्रीय पहलू के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि ई-न्याय केवल पूरक हो सकता है लेकिन न्यायाधीशों की बुद्धि का विकल्प नहीं हो सकता है।

प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई दिलचस्प प्रश्नों को पैनल के सदस्यों द्वारा संबोधित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय की विधि संकाय की प्रोफ़ेसर आकृति गुप्ता ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव विधि संकाय के सहायक प्रोफेसर प्रो. आलोक कुमार ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सहायक डीन डॉ. भगबत बारिक और अन्य संकाय सदस्यों, छात्रों ने भाग लिया।

==========